न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 87/2021

दायर दिनांक–21.09.2021

सुखदेव पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी ग्राम सौंथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. कुरडाराम पुत्र श्री रामलाल जाति जाट
2. जगमाल पुत्र श्री रामलाल जाति जाट
3. नेमीचन्द पुत्र श्री रामलाल जाति जाट
4. श्योनारायण पुत्र श्री भींवाराम जाति जाट
5. रधुवीर सिंह दतक पुत्र बीरमा जाति जाट
6. सुभाष पुत्र लिक्ष्मणराम जात जाट
   निवासी समस्तगण खरीटों की ढाणी तन सौंथली तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादीगण : श्री दीपेन्द्र सिह जाखड़
वकील प्रतिवादी : श्री अशोक कुमार जागिड़

दावा बाबत नक्शा दुरूस्तीकरण व
स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 16.05.2022

वादीगण ने एक वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि वादीगण ग्राम खरींटो की ढाणी में वादी के कब्जे काश्त व स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 593 रकबा 1.51 हैक्टर स्थित है जिसमें वादी अपने मकानात बनाकर आबाद है व अपने मवेशी पशु आदि रखता है तथा भूमि को काश्त करता है। वर्तमान में वादी ने उक्त भूमम में मोठ बाजरा के साथ मूंगफली की फसल काश्त कर रखी है। उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 280 थे। उक्त भूमि के दक्षिण में प्रतिवादी नम्बर 6 कीभूमि खसरा नम्बर 466 स्थित है जो भूमि पराुने खसरा नम्बर 155 का भाग है जिसके आने–जाने का रास्ता हालाना जोहडा से पुनिया की ढाणी जाने वाले रास्ते है जो वर्तमान में मौके पर हाल खसरा नम्बर 594 व 466 के बीच की सीमा पर से चालू है जिसमें प्रतिवादी नम्बर 6 अपनी भूमि में आता जाता रहा है। यह है कि वादी की भूमि के पश्चिम में प्रतिवादी नम्बर 7 सुभाष की भूमि खसरा नम्बर 969/467 स्थित है जो खसरा नम्बर 969 मूल से बनाये गये है जिसमें हालाना जोहड़ा से पुनिया की ढाणी जाने का रास्ता बीच से था जिसकों प्रतिवादी संख्या 7 ने मौके पर अपनी पूर्वी व उतरी सीमा के पास से डाल रखा है जहां से [illegible] भी चालू है और ग्रेवल सड़क डाली गई है। प्रतिवादी संख्या 7 की भूमि के दक्षिण में प्रति[illegible] की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 461 स्थित है व उसके दक्षिण में प्रतिवादीगण संख्या 05 की [illegible] नम्बर 462 बना हुआ है तथा उसके दक्षिण में प्रतिवादीगण संख्या [illegible] की भूमि [illegible] खसरा नम्बर 463 स्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की भूमि में व कुवे पर जाने का रास्ता हालाना [illegible] से चलकर पूनिया की [illegible] वाले रास्ते से चलकर भूमि हाल खसरा नम्बर 969/467 में प्रवेश कर, खसरा नम्बर 969/467 की [illegible] सीमा के पास से होता हुआ दक्षिणी सीमा के पास से होकर खसरा नम्बर 461 में प्रवेश कर जाता है जो दावे के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में F,G,H बिन्दुओं से दर्शाया गया है जो नजरी नक्शा दावे का ही भाग है जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 अपनी भूमियों व कुऐ पर आवागमन करते आये है, जो गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 27.07.2021 में F से G बिन्दु से होता हुआ H बिन्दुओ से दर्शाया गया है व दावे के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में भी F से G बिन्दु से होता हुआ H बिन्दुओं दर्शाया जा रहा है। भूमि हाल खसरा नम्बर 461, 462 पुराने खसरा नम्बर 155 का ही भाग है।

वादी के खेत मेंसे हालाना जोहडा से पुनियों की ढाणी से जाने वाले रास्ते पर ग्रेवल सड़क डाली हुई है जिससे आवागमन चालू है व वादी भी इस रास्ते से अपनी कृषि भूमि व मकानों से चलकर ग्राम सौंथली में व अन्य स्थान पर आवागमन करता है जो रास्ता मौके पर वादी की भूमि की दक्षिणी सीमा पर से चालू है इसके अलावा वादी के खेत में से अन्य कोई रास्ता ना तो वर्तमान में चालू है और ना ही कभी पहले कोई रास्ता रहा है परन्तु खसरा नम्बर 461 व 466 के खातेदार श्योनारायण व जगमाल बहुत ही चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति है जो भू प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों के सर्म्पक में रहते थे जिन्होने द्वितीय भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर वादी के खेत मे उतरी सीमा से पूर्वी सीमा तक बीचों बीच नजरी नक्शे में दर्शित A से B सीजनल रास्ता डोटेड लाईन अंकित करवा दिया, जो कतई अंकित किया गया है नजरी नक्शा में A से B रास्ता ना तो कभी मौके पर रास्ता रहा है ना कभी यहां से कोई आवागमन रहा है और ना ही कभी कोई सीजनल या स्थाई रास्ता पुरानी नक्शा शीट में दर्ज रहा है। इसी प्रकार वादी की भूमि खसरा नम्बर 593 के पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक गलत रूप से डबल डोटेड लाईन से सीजनल रास्ता अंकित कर दिया गया जो कतई गलत दर्ज किया गया है जो नजरी नक्शा में भी दर्शाया गया है। उक्त रास्ता नक्शा ट्रेश सन् 1979–80 में कतई गलत दर्ज किया गया है। नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 193 की पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक भूमि के बीच से कोई रास्ता मोके पर प्रचलन में नही है। द्वितीय भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियों को केवल पुराने रिकार्ड की पुनरावर्ती करने का अधिकार था। बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के पुराने रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही कर सकते थे प्रश्नतु भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा उक्त रासता किसी किसी विधिक आदेश के गलत रूप से बिना मौके की जांच किये आने अधिकारों से बाहर जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 5 ने भू–प्रबन्ध अधिकारियों से मिलीभगत से अंकित करवाया है जिसका राजस्व नक्शे मे अंकन रहने से वादी को सख्त हलतलफी होती है और वादी अपनी भूमि का उपयोग उपभोग नही कर सकता है तथा राजस्व नक्शे में रास्ते का अंकन कायम रहने से कभी भी गलत अंकन के आधार पर मौके पर रास्ता कायम किया जा सकता है जिससे वादी की भूमि वेस्ट एण्ड डेमेज होगी और वादी को अपनी खातेदारी व लगानी भूमि से महरूम होने पडेगा तथा भूमि काश्त के काबिल नही रहेगी। इस गलत अंकन बाबत वादी को पहले कोई जानकारी नही थी परन्तु दिनांक 28.06.2021 को पटवारी हल्का बुगाला द्वारी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की गलत व झुठी शिकायत पर मौका निरीक्षण करने मौक पर आने पर पटवारी हल्का द्वारा रास्ते के अंकन के बाबत वादी को बताये जाने पर वादी द्वारा दिनांक 08.07.2021 को नक्शा शीट की नकल लोने के रोज सर्वप्रथम राजस्व नक्शा में उक्त रास्ते के गलत अंकन के बाबत जानकारी हुई इससे पहले वादी को उक्त गलत अंकन की बाबत कोई जानकारी/इल्म नही था इसलिए पहले राजस्व नक्शा दुरूस्ती का दावा पेश नही कया गया जा सका अब पुरानी नक्शा शीट व जामबंदी आदि की नकल लेकर तुरन्त ही दावा बाबत दुरूस्ती रिकार्ड का पेश किया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 ने प्रतिवादी संख्या 8 के यहां उक्त गलत रूप से अंकित रास्ते के मौके पर खुलवाने के लिए गलत व झूठे त[illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस पर प्रतिवादी संख्या 8 ने वादी को नोटिस जारी कर अपना जवाब प्रस्तुत करेन के [illegible] दिया था। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भू–अभिलेखा निरीक्षक [illegible] हल्का बुगाला व पटवारी हल्का जाखल द्वारा मौका निरीक्षण किया गया था, [illegible] मौके पर नजरी नक्शे में दर्शित A से B रास्ते की बजाय प्रतिवादी संख्या 7 की भूमि के पूर्वी सीमा के पास से F से G बिन्दु से होता हुआ H रास्ता होना मानकर अपनी रिपोर्ट पेश की है जिस रास्ते को प्रतिवादी स[illegible] 7 द्वारा बन्द किया जाना दर्शित किया है इसके बावजूद भी A से B को खोलने के लिए वादी को नोटिस जारी किये गये तथा वादी का जवाब लिए बिना ही प्रतिवादी संख्या 8 ने दिनांक 11.09.2021 को छुट्टी के दिन मौके पर पहुंचकर वादी को धमकी दी की प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 मेरे रिश्तेदार है इसलिए तुम्हारे खेत के बीच मे से अंकित रास्ते को

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

खोलूंगा जबकि वादी के खेत खसरा नम्बर 593 में से नजरी नक्शे में दर्शित A से B बिन्दु तथा पूर्व से पश्चिमी सीमा तक भूमि खसरा नम्बर 593 के बीच से कभी बिन्दु मौके पर रास्ता नही रहा है और ना ही किसी प्रकार का कभी रहा है परन्तु इसके बावजूद भी राजस्व नक्शे में गलत अंकन के आधार पर प्रतिवादीगण जबरदस्ती वादी के खेत में से रास्ता निकालने पर आमादा है यदि प्रतिवादीगण अपनी नाजायज मंशा में सफल हो जावेगे तो वादी की कृषि भूमि वेस्ट एण्ड डेमेज होगी और वादी अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम हो जावेगा। वादी की कृषि भूमि वर्तमान में सिचिंत भूमि है जिसमें दोनो फसले काश्त की जाती है यदि रास्ता निकाला जाता है तो वादी को कृषि भूमि काबिल काश्त नही रह जावेगी और छोटे छोटे भूखण्डों में विभाजित हो जावेगी, जिससे वादी को इतना नुकसान होगा जिसकी भरपाई किया जाना किसी भी रूप में संभव नही हो सकेगा तथा मुकदमेंबाजी बढेगी जिससे समय व धन की बर्बादी होगी, वादी की फसल की नुकसानी के हर्जाने के लिए दावे करने पडेगे तथा फसल की वास्तविक नुकसानी का अंदाजा लगाया नाजा संभव नही हो सकेगा। इस प्रकार वादी को अपूरणीय नुकसान होगा। वादी विवादित भूमि का खातेदार है तथा लगान अदा करता आया है व भूमि मे से किसी प्रकार का कोई रास्ता कभी रहा भी नही है और प्रतिवादीगण की कृषि भूमि में पहुंच का दुसरा रास्ता प्रतिवादी संख्या 7 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 969/467 की पूर्वी सीमा के पास से F से G बिन्दु से होता हुआ H बिन्दुओं का रहा है इस प्रकार वादी का बहुत ही मजबूत मामला है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पास आवागमन हेतु F से G बिन्दु से होता हुआ H बिन्दुओं का रास्ता मौके पर पडा हुआ है तथा इसके अलावा दुसरा कटानी रास्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की भूमि के दक्षिण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 01 से होकर मौके पर मौजुद है जिससे दक्षिण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 01 से होकर मौके पर मौजुद है जिससे भी प्रतिवादीगण आवागमन करते है इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की असुविधा नही होती है तथा वादी की भूमि मे से जबरदस्ती नया रास्ता निकाला जाता है तो वादी को भारी असुविधा का सामना करना पडेगा इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वे वादी की खातेदारी की भूमि में गलत अंकन के आधार पर जबरन किसी प्रकार का कोई रास्ता नही डाले जिसके लिए मौजुदा दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा है।

दावा न्यायालय हाजा के लिये गलत रूप से रास्ता वादी की भूमि में अंकित करने के रोज दिनांक 28.06.2021 को पटवारी हल्का बुगाला द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की गलत व झूठी शिकायत पर मौका निरीक्षण करने मौका पर आने पर पटवारी हल्का द्वारा रास्ते के अंकन के बाबत वादी को बताये जाने पर व वादी द्वारा दिनांक 08.07.2021 को नक्शा शीट की नकल लेने के रोज सर्वप्रथम राजस्व शाखा में उक्त रास्ते के गलत के बाबत जानकारी होने के रोज व दिनांक 11.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा मौके पर जाकर गलत रूप से रास्ता खोलने की धमकी देने के रोज अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार मे पैदा हुआ।

वादी द्वारा वाद–पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन निम्न प्रकार से निवेदन किया :–

(क) वादी बहसक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादीगण की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 593 की नई राजस्व नक्शा शीट सन् 1979–80 को दुरूस्त कर पुरानी नक्शा शीट सन् 1936–37 के अनुसार तरमीम किया जाकर नजरी नक्शे में दर्शित A से B बिन्दु से दर्शित रास्ते वादी की वादी की भूमि खसरा नम्बर 593 की उतरी सीमा से पश्चिमी सीमा तक व पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक भूमि के बीच से डबल डोटेड लाईन से अंकित रास्तों का अंकन नई नक्शा शीट सन् 1979–80 में से हटाकर पूरानी शीट सन् 1936–37 के अनुसर तरमीम किया जाकर वादीगण की भूमि [illegible] के अनुसार नये नक्शे में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे व आवश्यक [illegible] जारी की जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द [illegible] जावे कि वे गलत राजस्व नक्शे के आधार पर वादी की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 593 में जबरन रास्ता डाल कर वादीगण की भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज नही करे और वादीगण को उनकी खातेदारी काश्तकारी की भूमि से किसी भी प्रकार से बेदखल नही करे, वादीगण को सीमा चिन्हो को किसी प्रकार का नुकसान कारित नही करे। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी नौकर–चाकर रिश्तेदार ऐजेन्ट किसी संस्था से करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (एल. टी.)
मकराना

(ग) अन्य सिद्धी जो वादीगण के पक्ष में पड़ती हो और भूलवंश चाही जाने से रह गई हो वह भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 की धारा 209 के तहत वादीगण को दिलवाई जावे।

वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 7 की ओर वकील श्री अशोक कुमार जागिड़ उपस्थित हो अपना वकालत नामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6, 8, 9 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 5, 7 को ओर से जवाब दावा पेश किया कि खसरा नम्बर 593 रकबा 1.51 हैक्टर वादी की खातेदारी काश्त की है तथा मकान बनाने या बच्चो सहित रहने आदि तथ्यों का जवाबदेहंदागण से कोई विवाद का विषय नही है पुराना खसरा नम्बर 280 होन काभी कोई विवाद नही है। तथा खसरा नम्बर 466 की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 6 की होने का भी कोई विवाद नही है। खसरा नम्बर 466 व 594 मे सें रास्ता कहां से है इस बात का भी कोई विवाद नही है। यह सही है कि खसरा नम्बर 969/467 की भूमि प्रतिवादी नम्बर 07 की खातेदारी काश्त की भूमि है जो पुरान खसा नम्बर 969 से बना है वादी का यह कथन कि जिसमें होलाना जोहड से पूनिया की ढाणी जाने वाला रास्ता बीच में था, जिसे प्रतिवादी नम्बर 07 ने मौके पर अपनी मर्जी से पूर्वी व उतरी सीमा के पास से डाल दिया हो बिल्कुल गलत है बल्कि नक्शा शीट में दर्ज अनुसार आज भी मौके पर है। प्रतिवादी नम्बर 07 के दक्षिण में प्रतिवादी नम्बर 05 की भूमि खसरा नम्बर 461 होने का व खसरा नम्बर 462 में शामलाती कुआ होने खसरा नम्बर 969/467 में रास्ता प्रवेश करने आदि तथ्य विवादित नही है, इसी प्रकार वादी द्वारा वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा गलत व मौके की व राजस्व रिकार्ड की स्थिति से भिन्न पेश किया है जो अपनी मर्जी से बनाया गया है तथा हल्का गिरदावर की रिपोर्ट दिनांक 27.01.2021 में एफ से जी बिन्दु से होता हुआ एच तक जो रास्ता जिस तरह से बताया है बिल्कुल गलत है, खसरा नम्बर 461, 462 के पुराना नम्बर 155 होने या न होने का कोई विवाद नही है। वाद–पत्र अस्पष्ट व मौके व राजस्व रिकार्ड के विपरित होने से व गलत तथ्यों पर आधरित होने प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

वादी का यह कथन कोई महत्व नही रखता है कि प्रतिवादी श्योनारायण व जगमाल चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति थे, जिन्होने भू–प्रबन्ध अधिकारियों से मिलकर वादी के खेत की उतरी सीमा से पूर्वी सीमा तक बीचो बीच नजरी नक्शा में ए से बी रास्ता अंकित करवा दिया है। प्रथम तो प्रतिवादी जगमाल व श्योनारायण व भू–प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों से कोई ताल्लुक नही था और न ही वादी ने भू–प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों का कोई नाम बताया है कि अमुक अधिकारी कर्मचारी थे, जिनसे जगमाल व श्योनारायण की इस तरह से सांठ–गांठ थी, रिश्तेदारी थी, केवल मात्र मनमर्जी मुताबिक तथ्य अंकित करने से वादी का कोई मदद मिलने वाली नही है, डोटेड लाईन का रास्ता ए से बी कटवाने की क्या आवश्कता थी जहां तक डोटेड लाईन के रास्ते का प्रश्न है, उक्त रास्ता केवल वादी के खेत मे ही नही बल्कि खसरा नम्बर 463, 461, 467, 593, 589, 583, 584, 580, 618, 619 से होता हुआ आगे को जाता है, इसलिये वादी का उक्त कथन की जगमाल व श्योनारायण ने ए से बी रास्ता दर्ज करवा दिया हो कोई महत्व नही रखता है। वादी के खेत खसरा नम्बर 593 में एक डोटेड लाईन रास्ता जवाब दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शा में क से ख दर्ज है, जो भी मौके पर चालू है, जिसक बारे में वादी एक शब्द भी नही बताता है, इसी तरह वादी वाद–पत्र में एक मात्र कथन यह है कि पुरानी नक्शा शीट स[illegible] के अनुसार कोई रास्ता नही होना बताया है यानिकि खसरा नम्बर 593 के पुराना खसरा नम्बर [illegible] से [illegible] रास्ता दर्ज नही है, उसी अनुसार नक्शा शीट 1979–80 वर्तमान नक्शा में [illegible] सम्पूर्ण वाद–पत्र में यह कही नही बताया है कि पुरानी खसरा नम्बर 280 में [illegible] 1936–37 में कौनसा कटानी रास्ता दर्ज रहा है, जिससे वादी व उसके पूर्वज आते जाते रहे है, इसी तरह वादी वाद–पत्र के पैरा नम्बर 01 में यह स्वीकार करता है खसरा नम्बर 969/467 तक रास्ता हालाना जोहड से पूनियों की ढाणी जाने वाला रास्ता बीचों बीच है, यह भी स्वीकार करता है कि खसरा नम्बर 594 व 466 के मध्य की सीमा से रास्ता है, जबकि उक्त रास्ते की नक्शा शीट 1936–37 में दर्ज नही है, जिसे तो जगमाल व श्योनारायण ने दर्ज नही करवाये है, इससे स्पष्ट है कि वादी जहां चाहे वहां तो रास्ता गलत दर्ज है और सही दर्ज है, इससे वादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
[illegible]

मानसिकता का पता चलता है जबकि विवाद केवल यह है कि जवाबदेहन्दा द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ग से घ तक रास्ते को वादी द्वारा बंद कर रखा है उक्त घ बिन्दु पर क से ख रास्ता मौके पर बाकायदा चालू है तथा खसरा नम्बर 969/467 में ग बिन्दु तक रास्ता चालू है, इस तथ्य को छुपाकर गैर कानूनी रूप से रास्ता को अवरूद्ध कर पुरानी सीट का हवाला दिया गया है, जबकि सैटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बाकायदा दर्शाया गया था। कानूनी प्रावधान राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में स्पष्ट रूप से दिया गया है, जिससे किसी खातेदार की खातेदारी पर कोई विपरीत प्रभाव भी नही पड़ता है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद–पत्र मात्र रास्ते को बन्द करने की गरज से कुण्ठावंश पेश किया गया है ताकि दावा व स्थगन आदेश की आड़ मे प्रतिवादीगण व आगे के खातेदारों की भूमि को रास्ते के अभाव में वेस्ट व डेमेज किया जा सके। पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि कई खसरा नम्बर रास्ते के बन्द कर देने से काश्त नही की जा रही है, यह भी स्पष्ट ही वादी ने जान बूझकर रास्त में तारबंदी कर दी है, जिसके विरूद्ध तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा अन्तर्गत धारा 251 की कार्यवाही करने पर उक्त कार्यवाही में स्थगन आदेश लेकर नाजायज बाधा कारित की जा सके, जबकि न्यायालय द्वारा प्रचलित रास्ते व डोटेड रास्तों के विरूद्ध स्थगन दिया जाने से पक्षकारों में अनावश्यक झगडे बढते है और प्रकरण में विलम्ब होता है, इस उदेश्य की पूर्ति हेतु यह झूंठा व बेबुनियाद वाद–पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है।

वाद–पत्र की धारा 3 गलत होने से अस्वीकार है। वादी द्वारा इस पैरा में तमाम वाक़यात मनगढ़त व दावे को रंग देने के उदेश्य से दर्ज किये है। प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 4 ने कोई झूठी शिकायत दर्ज नही की बल्कि सही रूप से शिकायत की है, क्योकि वादी ने नाजायज रूप से रास्ते मे तारबन्दी कर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है, पटवारी हल्का व भू–अभिलेख की रिपोर्ट में वादी ने गलत तथ्य अंकित करवाया जबकि मोके की स्थिति के विपरीत तथ्य बताये गये है, क्योकि ई से एच तक कोई रास्ता नही है, एच स्थान पर प्रतिवादी नम्बर 7 के मकान है, जहां तक प्रतिवादी नम्बर 7 जाता है, क्योंकि ई स्थान पर वादी द्वारा तारबंदी कर रास्ता बन्द कर दिया था, अब वादी गिरदावर हल्का से मिलकर ई से एच स्थान तक प्रतिवादी नम्बर 07 के खेत में रास्ता दर्शा दिया जबकि एच स्थान पर प्रतिवादी नम्बर 07 के मकान है, जिस तक प्रतिवादी नम्बर 07 आता–जाता है, उसी का खेत है, इसमें रास्ता मौजुद होने जैसा कोई प्रश्न नही है। वादी अगर उसे रास्ता मानता है क्या वह रास्ता वर्तमान नक्शा में दर्शित है नही है और न ही सैटलमेंट की नक्शा शीट 1979–80 में दर्ज है, क्योकि रास्ता मौजुद नही था, सन् 1979–80 मे जहां से रास्ता प्रचलन में था वही से रास्ता दर्ज किया गया है। प्रतिवादी नम्बर 08 के यहां प्रकरण दर्ज होने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये मौके पर गये है, प्रतिवादी नम्बर 08 की जबवादेहन्दागण से कोई रिश्तेदारी नही है और न ही वादी किसी रिश्तेदारी का कोई उल्लेख किया है। वादी को प्रचलित डोटेड रास्ते को गैर कानूनी व नाजायज रूप से बन्द करने का कोई अधिकार नही है तथा न ही वादी को कोई नुकसान हो रहा है। उक्त रास्ता वर्षो से प्रचलन में रहा है, डोटेड लाईन से दर्ज है, जिसको दावे की आड़ में बन्द करने का कोई कानूनी अधिकार वादी को नही है। वादी की कोई भूमि छोटे–छोटे टुकड़ों ने विभक्त नही हो रही है और न ही कोई फसल का नुकसान हो रहा है। इस तरह से तथ्य महज दावे को रंग देकर नाजायज रूप से न्यायालय को गुमराह कर स्थगन प्राप्त करने के उदेश्य से अंकित किये गये है, जिससे वादी को कोई सहायता प्राप्त नही होती है। वादी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है और न ही सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा अपूरणीय क्षति भी वादी को नही हो रही है। वादी किसी प्रकार से प्रचलित रास्ते को बन्द करने के उदेश्य से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है, क्योकि उक्त रास्ता ... होने से प्रतिवादीगण व आगे के अन्य खातेदारों की भूमि रास्ते के अभाव में वेस्ट व डेमेज हो जायेगी जिससे प्रतिवादीगण व आगे क खातेदारों के साथ घोर अन्याय होगा, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होगा, इसलिए वादी का यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रथम दृष्टया ही खारीज होने योग्य है।

वाद–पत्र की धारा 4 गलत होने से अस्वीकार है प्रतिवादी नम्बर 08 के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आज्ञापक प्रावधान है। वादी का यह कथन बिल्कुल गलत व बेबुनियाद है कि प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 4 प्रतिवादी नम्बर 08 के सहयोग से वादी के खेत से रास्ता निकालना चाहते हो बल्कि रास्ता प्रचलन मे हमेशा रहा है तथा डोटेड लाईन से दर्ज है, प्रतिवादी नम्बर 8 राजकीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी है, जो अपने पद पर कार्य करता है, प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 04 से मिलकर रास्ता निकालने का प्रश्न ही नही है वादी के पास पर्याप्त अवसर था बाकायदा 02 माह का नोटिस दिया जाकर वाद–पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था, वाद–पत्र में भी वाद–पत्र की आदेशिका में आज तक कोई इजाजत न्यायालय द्वारा नही दी गई है वादी का वाद–पत्र प्रथम दृष्टया ही नोटिस के अभाव में खारिज होने योग्य है।

वाद–पत्र की धारा 5 गलत होने से अस्वीकार है वादी को कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ, वादी ने तमाम वाद कारण झूंठे व मनगढ़त दर्ज किया है, वादी को कोई धमकी प्रतिवादी नम्बर 09 द्वारा नही दी गई है, वादी ने काल्पनिक वादकारण दर्ज किया है वादी का वादकारण के अभाव में खारिज होने योग्य है।

वाद–पत्र की धारा 6 गलत होने से अस्वीकार है वादी का वाद–पत्र रास्ते को अवरूद्ध कर गैर कानूनी रूप से प्रचलित डोटेड लाईन के रास्ते को हटाने का है, जिसको हटाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है वाद–पत्र क्षैत्राधिकार से बाहर होने से प्रथम दृष्टया ही खारीज होने योग्य है।

वाद–पत्र की धारा 9 (क,ख,ग) गलत होने से अस्वीकार है। इस पैरा में वर्णित सहायता वादी प्राप्त करने के के अधिकारी नही है। भूमि खसरा नम्बर 593 के दोनो और से कई किलोमीटर तक कई खसरा नम्बर में उक्त रास्ता चालू है, जो वर्षो से प्रचलन में चलता आ रहा है, जिसके आधार पर भू–प्रबन्ध के दौरान राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने बाकायदा मौका की विस्तृत जांच कर डोटेड लाईन से रास्ता दर्ज किया है। जिसको केवल खसरा नम्बर 593 में हटा कर रास्ते को अवरूद्ध किये जाने हेतु किसी प्रकार की सहायता सीधे तौर पर या अन्यथा किसी भी तरह से आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाना संभव नही है और नही ऐसी सहायता वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी का वाद–पत्र गलत व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य हैं।

:: अतिरिक्त उत्तर ::

वादी ने खसरा नम्बर 593 रकबा 1.51 हैक्टर वाके ग्राम खरींटा की ढाणी जिसके पुराना खसरा नम्बर 280 का नक्शा शीट सन् 1979–80 को दुरूस्त कर पुरानी सीट 1936–37 के अनुसार दुरूस्त करने बाबत प्रस्तुत किया है, जिसमे केवल अपनी मर्जी से ए से बी नजरी नक्शा में वर्णित रास्ता को हटाने की सहायता चाही है, जबकि खसरा नम्बर 593 में दुसरा रास्ता भी डोटेड लाईन से गुजर रहा है, वह भी पुरानी सीट सन् 1936–37 में दर्ज नही है, उसे हटाने बाबत कोई सहायता नही चाहता है जबकि मौके पर दोनो रास्ते चालू है, जिसका उपयोग उपभोग चारो तरफ के खातेदार वर्षो से करते आ रहे है, अब वादी के मन में बेईमानी पैदा हो गई, खेत में मकान बना कर रहने लग गया, अपने आने जाने व अपनी आवश्यकता के रास्ते को चालू रखना चाहता है, प्रतिवादीगण व आगे के खातेदारों के रास्ते को बन्द कर उनकी खातेदारी की भूमि को वेस्ट व डेमेज करना चाहता है, जो खातेदार खेतो में मकान बनाकर मय परिवार रह रहे है, जिनमें प्रतिवादी जवाबदेहन्दागण भी उनके बच्चे को स्कूल जाने हेतु भी कोई रास्ता नही रहा है, बडी मुश्किल से इधर–उधर से आते जाते है, वादी अपनी हठधर्मिता पर अडा हुआ है, जिसके चलते आगे के कई खेत काश्त करने से वंचित रह गये है, उक्त रास्ते में तारबंदी कर रास्ते को अवरूद्ध करने से सैकड़ों खातेदार प्रभावित हो रहे है और अपनी कीमती भूमि में काश्त नही कर पा रहे है, वादी ने बड़ी चालाकी से नाजायज रूप से रास्ते में पहले से तारबन्दी कर अवरूद्ध कर दिया फिर झूंठे तथ्य दर्ज कर न्यायालय से यह एक पक्षीय स्थगन आदेश ले लिया, जिससे उक्त गैर कानूनी रूप से बंद रास्ते की कोई कार्यवाही नही जा सके। न्यायालय द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश [illegible] को धोखे में रखकर प्रचलित डोटेड लाईन के रास्ते बाबत प्राप्त किया है। वादी रास्ता अपने खेत ई बिन्दु तक [illegible] है, अपने खेत में रास्ता नही मानता है जब बन्द कर दिया तो चालू की रिपोर्ट [illegible] नक्शा सीट 1978–79 में कोई दुरूस्ती करवाने का अधिकारी नही है और न ही दुरूस्ती [illegible] व अन्य का अधिकारी है, वादी का वाद पूर्णतया गलत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के [illegible] होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

तद्पश्चात् प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जागिड़ ने कथन किया कि वादी द्वारा चाही गई रिलीफ अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपति नही है। वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य आपस में सुलह होने से प्रतिवादीगणों द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किये

जाने की सहमति प्रदान की गई। प्रकरण में सहमति होने से प्रकरण मे शहादत नही ली गई। प्रकरण में सहमति होने पर सहमति के आधार पर वाद वादी मुताबिक संलग्न नजरी नक्शे के स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

:: आदेश ::

वाद वादी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। ग्राम खरींटा की ढाणी की सरहद में वादीगण की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 593 की नई राजस्व नक्शा शीट सन् 1979–80 को दुरूस्त कर पुरानी नक्शा शीट सन् 1936–37 के अनुसार नजरी नक्शे में दर्शित A से B बिन्दु से दर्शित रास्ते को वादी की भूमि खसरा नम्बर 593 के उतरी सीमा से पश्चिमी सीमा तक व पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक भूमि के बीचो–बीच से डबल डोटेड लाईन से अंकित रास्तों का अंकन नई नक्शा शीट सन् 1979–80 मे से हटाकर पुरानी शीट सन् 1936–37 के अनुसार तरमीम करते हुये वादीगण की भूमि को पूर्व नक्शे के अनुसार नये नक्शे में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द वे गलत राजस्व नक्शे के आधार पर वादी की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 593 मे जबरन रास्ता डाल कर वादीगण की भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज नही करे और वादीगण को उनकी खातेदारी काश्तकारी की भूमि से किसी भी प्रकार से बेदखल नही करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **16.05.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा बाबत दुरूस्ती राजस्व नक्शा
व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 87 / 2021 (सुखदेव बनाम कुरडाराम)

पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 16.05.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। ग्राम खरींटा की ढाणी की सरहद में वादीगण की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 593 की नई राजस्व नक्शा शीट सन् 1979–80 को दुरूस्त कर पुरानी नक्शा शीट सन् 1936–37 के अनुसार नजरी नक्शे में दर्शित A से B बिन्दु से दर्शित रास्ते को वादी की भूमि खसरा नम्बर 593 के उतरी सीमा से पश्चिमी सीमा तक व पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक भूमि के बीचो–बीच से डबल डोटेड लाईन से अंकित रास्तों का अंकन नई नक्शा शीट सन् 1979–80 मे से हटाकर पुरानी शीट सन् 1936–37 के अनुसार तरमीम करते हुये वादीगण की भूमि को पूर्व नक्शे के अनुसार नये नक्शे में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द वे गलत राजस्व नक्शे के आधार पर वादी की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 593 मे जबरन रास्ता डाल कर वादीगण की भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज नही करे और वादीगण को उनकी खातेदारी काश्तकारी की भूमि से किसी भी प्रकार से बेदखल नही करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद / तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.05.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुत[illegible]	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested